शुद्धिपत्र

संख्या-374/2025/1134/25-27-सिं-9-45 एसएवी/25

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2025**

विषय: जनपद ललितपुर में स्थित गोविन्द सागर बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-869/1867/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 27.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 18.06.2025 का शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-324/2025/001/843/25-27-सिं-9-45 एसएवी/25, दिनांक 18.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में **जनपद ललितपुर में स्थित गोविन्द सागर बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना** की अनुमोदित लागत रू0 149.35 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4701-19-051-10-14-24 के अन्तर्गत धनराशि रू0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि में मुख्य अभियन्ता(बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य अभियन्ता(परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-324/2025/001/843/25-27-सिं-9-45एसएवी/25, दिनांक 18.06.2025 की प्रतिलिपि में अंकित मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी के स्थान पर मुख्य अभियन्ता(बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जगराम यादव

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है